

OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से न्यायालय ए.एस.जे./एफ.टी.सी.-I बहराइच द्वारा गैर-इरादतन हत्या के अभियुक्त को 09 वर्ष 02 माह का सश्रम कारावास तथा 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Daily News

#BahraichPoliceInNews
<https://linktr.ee/mediacellbahraich>

112

गैर इरादतन हत्या में दोषी को नौ वर्ष दो माह का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

बहराइच। थाना हुजूरपुर पाटपुरवा गांव निवासी अभियुक्त को विरोध न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने सुनाई सजा

शराब ले जाने के आरोपी को देना होगा आठ सौ रुपये जुर्माना

आवस्ती। इकोना पुलिस ने सात वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के ग्राम अकोलवा निवासी कमलेश को दस लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई शुकवार को एसजेएम एफटीसी देवर्षि देव कुमार के न्यायालय में हुई। एसजेएम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे जेल में बिताई गई अवधि को कैद व 800 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)

58 वारंटियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

बहराइच। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विभिन्न थाराओं में 58 व्यक्तिवों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सभी नामजद आरोपी कई दिनों से फरार चल रहे थे। इस पर कोर्ट ने सभी के खिलाफ वारंट जारी किया था। शुकवार को पुलिस ने सभी नामजद 58 वारंटियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। (संवाद)

अदालत से

थाना हुजूरपुर की पुलिस ने थाना क्षेत्र के पाटपुरवा गांव निवासी चोगी उर्फ हसीब ने 22 अगस्त 2015 को अपने ससुर को हॉसिंग व लकड़ी-डंडों से मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद थाने की पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न थाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम आनंद शुक्ला को कोर्ट पर मुकदमा चल रहा था। शुकवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को घटना में दोषी मानते हुए नौ वर्ष दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को पांच हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अदालत पर एक माह का अनिश्चित कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)

BAHRAICHPOLICE

24/7 #BahraichPolice Social Media Cell #SPBahraich



CONVICTING THE CRIMINALS

Meticulous Investigation & Prosecution

बहराइच पुलिस

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के दृष्टिगत बहराइच पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 27.09.2024 को माननीय न्यायालय ASJ/FTC-I, बहराइच द्वारा गैर-इरादतन हत्या के आरोपी को दण्डित किया गया।

विवरण निम्नवत है -

पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना हुजूरपुर में पंजीकृत मु.अ.सं. 833/2015 धारा 304 भा.द.सं. के आरोप में अभियुक्त चोगे उर्फ हसीब पुत्र महबूब निवासी वासपुरवा दा0 पाटपुर थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच को 09 वर्ष 02 माह का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



श्री गिरीश चन्द्र शुक्ल
डी.जी.सी. क्रिमिनल



हे0का0 मनोज कुमार
कोर्ट मोहरीर



का0 अश्वनी कुमार
थाना पैरोकार